पत्र सं0–7/अनु0–10–02/2013गृ0आ0................../

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

E-mail/Fax

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला दण्डाधिकारी ।

पटना, दिनांक– मार्च, 2017

विषय : **NDAL / NDAL-ALIS (Arms Licence Issuance System) के अनुरूप आयुध नियम, 2016 के प्रावधानानुसार शस्त्र अनुज्ञप्ति से संबंधित कार्यों के निष्पादन के संबंध में ।**

प्रसंग : विभागीय पत्रांक 1561 दिनांक–21.02.2017.

महाशय,

आप अवगत हैं कि प्रत्येक अनुज्ञापन प्राधिकार को दिनांक 01.04.2016 के पूर्व निर्गत सभी अनुज्ञप्तियों की प्रविष्टि NDAL सॉफ्टवेयर में दिनांक 31.03.2017 तक करते हुए प्रत्येक अनुज्ञप्ति के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या (UIN) आवंटित कर दिया जाना है! दिनांक 01.04.2017 से NDAL सॉफ्टवेयर में प्रविष्टियाँ बंद हो जायेंगी। उक्त तिथि के पूर्व निर्गत वैसी अनुज्ञप्तियाँ, जिनकी प्रविष्टि NDAL सॉफ्टवेयर में दिनांक 31.03.2017 तक नहीं हो सकेंगी, स्वतः अमान्य हो जायेंगी। अतएव इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय–सीमा में पूरा कर लिए जाने के लिए आपको उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा दिशा निर्देश दिये गये हैं।

2. NDAL सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि के लिए सभी जिलों के शस्त्र शाखाओं में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–20/क्षे0स्था0–08–08/2017 सा0प्र0 3004 दिनांक–10.03.2017 द्वारा एक–एक कम्प्यूटर ऑपरेटर/ कार्यपालक सहायक की सेवाएँ उपलब्ध कराने का निदेश भी दिया जा चुका है।

3. उक्त निदेशों के अनुसार विभिन्न जिलों में NDAL सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि के कार्यों में प्रगति हुयी है, परंतु दिनांक 15.03.2016 तक बेगूसराय, भागलपुर, जहानाबाद, जमुई, किशनगंज, मुंगेर, नालंदा एवं पटना जिलों में ALIS सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि का कार्य शुरू नही किये जा सकने की भी सूचना प्राप्त हुई। उक्त स्थिति की समीक्षा दिनांक–16.03.2017 को सभी जिला शस्त्र दंडाधिकारियों के साथ 'विडियों कॉन्फ्रेंसिग' कर की गयी।

4. 'विडियों कॉन्फ्रेंसिग' के दौरान सभी जिला शस्त्र दंडाधिकारियों से NDAL सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि के संबंध में आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों के संबंध में जानकारी

प्राप्त की गयी और गृह विभाग के पदाधिकारियों तथा NIC, बिहार, पटना के परियोजना समन्वयक द्वारा उनकी पृच्छाओं का समाधान करने का प्रयास किया गया एवं बाहुल्य अनुज्ञप्तियों (Multiple Licence) सहित अन्य व्यवहारिक कठिनाईयों के संबंध में आयुध नियम, 2016 के प्रावधानों से जिला शस्त्र दंडाधिकारियों को अवगत कराया गया तथा उन्हें NDAL सॉफ्टवेयर में सभी प्रविष्टियों का कार्य, बाहुल्य अनुज्ञप्तियों (Multiple Licence) के मामलों सहित, दिनांक 31.03.2017 तक निश्चित रूप से पूरा कर लेने का निदेश दिया गया।

5. अनुरोध है कि व्यक्तिगत ध्यान देकर NDAL सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि के कार्यों को निर्धारित अवधि में पूरा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय एवं अपने-अपने जिले में NDAL सॉफ्टवेयर में सभी प्रविष्टियाँ, बाहुल्य अनुज्ञप्तियों (Multiple Licence) के मामलों सहित, पूर्ण कर दिनांक 27.03.2017 तक प्रतिवेदन इस विभाग को उपलब्ध करायें ताकि दिनांक 31.03.2017 तक इस आशय का प्रतिवेदन गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जा सके।

विश्वासभाजन,

(आमिर सुबहानी) 20.3.17

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक:7/अनु0-10-02/2013गृ0आ0 पटना, दिनांक- मार्च, 2017

प्रतिलिपि : श्री राजीव रंजन, प्रधान प्रणाली विश्लेषक-सह-परियोजना समन्वयक, एन0आई0सी0 टेक्नोलॉजी भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(गिरीश मोहन ठाकुर)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:7/अनु0-10-02/2013गृ0आ0 2341 पटना, दिनांक- 20 - मार्च, 2017

प्रतिलिपि : श्री श्याम मोहन दूबे, आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.3.17

सरकार के अवर सचिव

Letter/D. Ajay Sec/Dec 2

(9)